न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–50/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00197

उनवान

1. देवी सिंह
2. कामराज
3. बालकिशन
4. सुरेशचन्द

} पिस0 भूप सिंह कौम निषाद निवासीगण गॉ चिन्तामन की गढी तह0 राजाखेडा।

........................वादी/अपीलांट।

बनाम

1. किशनलाल
2. नन्दराम

} पि0 घासीराम

3. पीतम सिंह पुत्र घासीराम
4. प्रेमवती पत्नी हेतराम
5. मुन्नालाल
6. लाल सिंह

} पिस0 हेतराम

} कौम निषाद नि0 चिन्तामन की गढी तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

7. कपूरी पुत्री हेतराम पत्नी रामप्रकाश कौम निषाद निवासी धारापुरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा।
8. पूरनदेई पुत्री हेतराम पत्नी पप्पू कौम निषाद निवासी सुजानगढ तहसील व जिला फिरोजाबाद।
9. तहसीलदार जी राजाखेडा वहैसियत भू स्वामी।

.... प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 28.06.2018 उनवानी देवी सिंह बनाम किशनलाल प्र0स0 50/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अश्विनी जैन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री लक्ष्मीनारायण बघेला उपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

निर्णय दिनांक :- 22.04.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक वाद वास्ते बँटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। वर्तमान में सम्मिलित रूप से काश्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही हैं एवं आये दिन उभयपक्षकारान में फसल को लेकर मनमुटाव हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 08.10.2011 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये, तहसीलदार राजाखेड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2013 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी/रैस्पो0 ने एक अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है, जो दिनांक 15.02.2017 से स्वीकार की जाकर, पुनः उभयपक्ष की सहमति/उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाते हुये, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 से अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् उभयपक्ष ने दिनांक 12.04.2022 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष राजीनामा पर सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में पक्षकारान के मध्य समाज के चन्द भले लोगों ने राजीनामा करा दिया है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में सहमति के आधार पर प्रतिप्रेषित कराना चाहते हैं ताकि अधीनस्थ न्यायालय पुनः पक्षकारो की सहमति/राजीनामा के अनुसार विवादित आराजी के कुर्रेजात तलब कर अन्तिम डिक्री पारित कर सकें। अतः लोक अदालत की भावना से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने भी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की सहमति/राजीनामा के आधार पर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुये, अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति प्रकट की गयी।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पक्षकारान ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि हम पक्षकार प्रकरण में पूर्व में तैयार विभाजन प्रस्तावो से सहमत नहीं हैं एवं ना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव हम पक्षकारान की उपस्थिति में बनाये हैं एवं ना ही विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर ही अंकित है। अतः प्रकरण में पुनः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित की जावें। हमने गौर किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं ना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं ने ही बनाये हैं। विभाजन प्रस्तावो पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर अंकित हो रहे हैं एवं ना ही उपविभाजित भूमि का कोई नजरी नक्शा ही तैयार किया गया है। नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में उक्त विभाजन प्रस्तावों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जबकि प्रकरण में पूर्व में भी न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.02.2017 से अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति/उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेशो की पालना नहीं की गयी है। लिहाजा हम प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु विवश हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 अपास्त किये जाकर, इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में विभाजन के नियमो का पूर्णतः पालन करते हुये, उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जावें एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर प्रदान करते हुये, विधि अनुसार अंतिम डिक्री पारित की जावें। उभयपक्षकारान को भी जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.20122 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

7. निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-04-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर